Research Times/Vol.-11/June-2021 ISSN 2395-051X

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में महिला साक्षरता एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. (श्रीमती) शक्तिजैन
प्राध्यापक-अर्थशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। भारत देश को यदि विकसित देश बनना है तो महिलाओं के शैक्षणिक विकास के बिना संभव नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 1941 में 7.30% थी जो 2011 में बढ़कर 65.46% हो गयी है। परंतु यह विश्व के औसत साक्षरता दर 79.7% से काफी कम है। अतः भारत देश में महिला साक्षरता की कई समस्यायें हैं तथा इस संदर्भ में भारत सरकार प्रयत्नशील है।

मुख्य शब्द : साक्षरता, महिला सशक्तीकरण, औसत साक्षरता।

''आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालात बता सकते हैं।''

- जवाहर लाल नेहरू

कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब उसकी आधी आबादी जो कि महिलाओं की है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि समस्त क्षेत्रों में सशक्त हो। महिला तभी सशक्त हो सकती है जब वह शिक्षित हो। शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन में सभी द्वार खोल देती है। शिक्षा महिला सशक्तीकरण का प्रभावशाली माध्यम है क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में ज्ञान, कौशल व दक्षता एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षा संपूर्ण अज्ञानता की विनाशक है वह व्यक्ति के जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर उसके विकास व उन्नति के समस्त रास्ते खोल देती है। महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ''यदि एक पुरूष को शिक्षित किया जाये तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित कर दिया जाये तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है।'' इस शोध पत्र में स्वतंत्रता के पहले व पश्चात् महिला साक्षरता व महिला शिक्षा की स्थिति का वर्णन किया है तथा महिला शिक्षा का महत्व, आवश्यकता व महिला शिक्षा में आने वाली बाधायें एवं महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए बनायी गयी योजनाओं का विवेचन किया गया है।

ISSN 2395-051X

महिला शिक्षा की आवश्यकता

भारत देश में महिला साक्षरता की दर मात्र 65.16% है जो कि विश्व औसत साक्षरता दर 79.7% से काफी कम है इसके अतिरिक्त महिला और पुरूष साक्षरता दर में काफी अंतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% है तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है जो कि देश की औसत साक्षरता दर 74.04% से कम है। इन सभी आंकड़ों को देखकर महिला शिक्षा को अनदेखा नहीं कर सकते।

- देश में महिला शिक्षा बहुत आवश्यक है क्योंकि महिलायें अपने बच्चों की शिक्षक होती है महिला शिक्षा उन्हें अपने जीवन में अधिक स्वतंत्र और सशक्त बनाने में मदद करती है। शिक्षा महिला को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है और उसमें स्वावलंबन के गुणों का भी विकास करती है।
- महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे - कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा आदि को दूर करने में सहयोग कर सकती है।
- शिक्षित महिला अपने भविष्य को सही आकार देने और अपने हक के लिए लड़ने के लिए सक्षम है। शिक्षित महिलायें आर्थिक रूप से अपने परिवार को मदद करने में सक्षम होती है।
- महिला शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव देश की सकल राष्ट्रीय आय पर पड़ता है महिला देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
- शिक्षित महिला जानती है कि धार्मिक कर्मकाण्डों व अंधविश्वासों व अनुत्पादक गतिविधियों पर खर्च करने की जगह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार आय उपार्जन पर निवेश को उचित मानती है।
- महिलाओं के शिक्षित होने पर बाल मृत्यु दर की जोखिम कम होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया कि जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं के बीच शिक्षा का सीधा संबंध दिखाया गया है महिलायें जितनी अधिक शिक्षित होती हैं उनके बच्चें को उतना ही अधिक पोषण आहार मिलता है।
- विश्व बैंक के एक अर्थशस्त्री प्रो. समर्स ने एक आकलन किया था जिसके अनुसार भारत में एक सौ बालिकाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने में 32 हजार अमेरिकी डालर का खर्च आयेगा जबकि इस धन के एवज में 43 शिशुओं और दो माताओं की मृत्यु रूकेगी एवं 300 जन्म रूकेंगे। इन लाभों का मूल्य 52 हजार डालर होगा। इसके अतिरिक्त उत्पादकता पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वह बोनस के रूप में होगा।

महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता व महत्व के संबंध में स्वामी विवेकानंद का कथन ''कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके एवं इसी आधार पर भारत में उज्जवल भविष्य की संभावनाएँ निहित हैं।''

स्वतंत्रता के पूर्व महिला साक्षरता की स्थिति

भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है कि इतिहास में अथवा स्वतंत्रता के पूर्व महिला शिक्षा की विकास यात्रा क्या रही ?

भारतीय वैदिक काल अर्थात लगभग 3000 वर्ष से अधिक पूर्व वैदिक काल के समय महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था उनहें पुरुषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। भारतीय समाज में वैदिक काल में महिला शिक्षा की स्थिति अत्यंत उन्नत थी वैदिक काल में नारी न केवल साधारण वरन उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करती थी। वैदिक अवधारणा में स्त्री शक्ति सिद्धांत के अनुसार महिलाओं की देवी के रूप में पूजा शुरु हुई। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि लड़कों के साथ लड़कियों के उचित देखभाल के साथ पोषित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

उत्तर वैदिक काल से स्मृति काल तक आते-आते स्त्रियों ने अपने अधिकार लगभग खो दिये एवं स्त्री शिखा भी क्रमशः नगण्य होती गयी। आगे चलकर मध्यकाल में भारत में मुस्लिम आक्रमणों के बाद जब सुरक्षा से छोटी-छोटी बालिकाएँ घरों में बंद कर दी गयी तो स्त्रियों की शिक्षा समाप्त हो गयी कई सदियों तक अज्ञानता के इस साम्राज्य के बाद ब्रिटिश काल में नारी शिक्षा की दशा को सुधारने के लिए राजा राममोहन राय ने पहला प्रयत्न किया। कई महापुरूषों ने स्त्री शिक्षा के प्रसार में अपना बहुमूल्य समय दिया जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, हुजूर महाराज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, डी.के. कर्वे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी आदि। महिलाओं में माग्रेड नोबल, श्रीमती एनी बेसेंट, मीरा बेन, रमाबाई रानाडे एवं भगिनी निवेदिता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बीसवीं सदी के आरंभ में आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज आदि का इस दिशा में सराहनीय कदम रहा।

ब्रिटिश इंडिया के काल में पहला आल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल वर्ष 1821 में दक्षिण भारत में तिरूनेलवेली में स्थापित किया गया था, वर्ष 1840 तक स्टॉटिंग चर्च सोसायटी द्वारा दक्षिण भारत में निर्मित छह स्कूल मौजूद थे जिनमें कुल 200 लड़कियों का नामांकन हुआ। वर्ष 1848 में पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरूआत करने ज्योतिवा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई पश्चिमी भारत में भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे तथा 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूल में लगभग 8000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया था। वर्ष 1879 में स्थापित वूमेन कालेज वर्तमान का सबसे पुराना महिला कालज है।

वर्ष 1882 में महिलाओं की समग्र साक्षरता दर मात्र 0.2% थी जो बढ़कर 1901 में 0.6% तथा 1941 में 7.30% हो गयी। तालिका क्रमांक-1 में 1901 से लेकर 1941 तक की महिला साक्षरता दर को दिखलाया गया है -

तालिका क्रमांक-1
स्वतंत्रता के पूर्व महिला साक्षरता

जनगणना वर्ष	प्रतिशत
1901	0.60
1911	1.05
1921	1.81
1931	2.93
1941	7.30

स्रोत - भारत की जनगणना।

भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान की स्थिति

- भारत में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। वर्ष 2011 में साक्षरता दर 74.04% रही जिसमें पुरूष साक्षरता दर 82.14% है तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है जो देश की औसत साक्षरता दर से भी कम है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भी साक्षरता दर बहुत अंतर देखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 73.5% है तथा शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 87.7% है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा साक्षरता की स्थिति गंभीर है।
- 1947 में साक्षरता दर मात्र 18% थी जो 2011 में बढ़कर 74.04% हो गयी तथा 2017 से जून 2018 के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तय की गयी है कि देश में पुरूष साक्षरता दर 84.7% है तथा महिला साक्षरता दर 70.3% है अर्थात महिला एवं पुरूष साक्षरता दर में 14% का अंतर है जो एक विचारणीय प्रश्न है।
- वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियाँ स्कूल शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं है इनमें से अधिकतर घरेलू कार्य में संलग्न है या भीख मांगने में आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी लगभग 1.45 मिलियन महिलाएँ हैं जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान 52.11% और बिहार 51.50% में महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है।

स्वतंत्रता के पश्चात् महिला साक्षरता की स्थिति

स्वतंत्रता के पश्चात् देश में महिला साक्षरता की दर (0.6%) बहुत कम थी। तालिका क्रमांक 2 में भारत में 1901 से 2011 तक की साक्षरता की स्थिति को दिखाया गया है। भारत की जनगणना 2011 के

अनुसार साक्षरता में निरंतर वृद्धि हुई है तथा महिला एवं पुरुष साक्षरता वृद्धि में अंतर जो निरंतर बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उस अंतर में भी कमी आयी है तथा 2001 में महिला साक्षरता दर 53.67% थी जो 2011 में बढ़कर 65.46% हो गयी अर्थात महिला साक्षरता में 11.8% की वृद्धि हुई जो एक अच्छा संकेतक है। जिसे निम्न तालिका क्रमांक 2 में दिखाया गया है।

तालिका क्रमांक-2

भारत में 1901 से 2011 तक साक्षरता वृद्धि के आंकड़ों का प्रतिशत

वर्ष	कुल वृद्धि	पुरुष	स्त्री	वृद्धि में अंतर
1901	5.35	9.83	0.60	9.23
1911	5.92	10.56	1.05	9.57
1921	7.16	12.21	1.81	10.40
1931	9.50	15.59	2.93	12.60
1941	16.10	24.90	7.30	17.60
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.56	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.8	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

स्रोत - भारत जनगणना 2011

महिला शिक्षा के मार्ग में बाधायें

महिला साक्षरता के मार्ग में अनेकों समस्यायें हैं जैसे -

- सर्वप्रथम भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता है।
- महिलाओं की दक्षता को कम मापा जाता है उन्हें कुछ कार्यक्षेत्रों में तो भेजा ही नहीं जाता है।

- महिला सुरक्षा की कमी, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के कारण भी महिला साक्षरता की दर कम है।
- लैंगिक भेदभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है।
- लड़कियों को लड़कों के समान शैक्षिक अवसर प्राप्त नहीं कराये जाते। सभी पक्षों व स्तरों पर लड़कों व लड़कियों की शिक्षा में व्यापक असमानता पाई जाती है।
- गरीबी महिला साक्षरता दर में कमी की बड़ी समस्या है।
- आज भी देश में लड़कियों की शिक्षा के प्रति विचार बहुत ही संकीर्ण है। कम उम्र में शादी कर देना, पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास के चलते महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता है।
- सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं में अनभिज्ञता भी महिला शिक्षा का कारण है।
- दहेज की कुप्रथा की शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के मार्ग में बड़ी बाधा है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में महिला शिक्षा के विकास हेतु बनायी गयी नीति योजनायें एवं सुझाव -

स्वतंत्रता के पश्चात् 1951 की जनगणना में महिला साक्षरता की दर मात्र 8.86 थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिला शिक्षा के विकास और देश की मुख्य धारा में महिला को एक अभिन्न अंग बनाने के लिए बहुत प्रयास किये गये जिनमें संक्षेप में निम्न है -

- विश्वविद्यालयीन शिक्षा आयोग (1948-49) ने अपने प्रतिवेदन में (1) स्त्रियों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने (2) पुरूषों व स्त्रियों को समरूप शिक्षा देने (3) पुरूषों की नकल करने के स्थान पर ऐसी शिक्षा देने की बात कही जिसे पाकर महिला एक अच्छी महिला बन सके।
- माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने लड़कियों के प्रति गृहविज्ञान की शिक्षा के विशेष सुविधा देने तथा मांग होने पर लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया।
- भारत सरकार द्वारा गठित दुर्गाबाई देशमुख समिति (1957) ने पुरूष और स्त्री शिक्षा के मध्य की दूरी को भरने का सुझाव दिया।
- वर्ष 1958 में सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जिसकी सभी सिफारिशें स्वीकृत कर ली गई। वर्ष 1958 में ही इसी विषय पर गणित एक समिति ने लड़कों और लड़कियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम को विभिन्न चरणों में लागू करने की सिफारिश की।
- भक्तवत्सलम समिति (1963) स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने को गठित की गयी उसमें सुझाव दिया गया कि प्रत्येक 300 की आवादी पर एक प्राइमरी स्कूल, हर 3 मील की दूरी पर एक जूनियर हाई स्कूल तथा 5 मील की दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल की सुविधा का प्रावधान हो।

- हंसा मेहता समिति (1964) ने अपने प्रतिवेदन मे लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम का विरोध किया तथा प्राथमिक स्तर पर लड़के व लड़कियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम और माध्यमिक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया।
- कोठारी आयोग (1964-65) ने अपने प्रतिवेदन में स्त्री शिक्षा विकास के लिए कहा कि स्त्री शिक्षा के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने का निश्चित प्रयास करना चाहिए।
- देश की प्रथम शिक्षा नीति (1968) में लड़कियों की शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता को स्वीकार कर लड़के एवं लड़कियों के लिए समान शैक्षिक अवसरों पर बल दिया गया।
- स्त्रियों की दशा को जानने के लिए गठित फुलरेन गुहा समिति (1971-74) ने शिक्षा के सभी स्तरों पर 'सह-शिक्षा' पर बल दिया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में स्त्रियों को समानता हेतु शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया इस नीति में स्त्री साक्षरता के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने तथा विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में स्त्री की सहभागिता को बढ़ाने की बात कही गयी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनर्निरीक्षण समिति ने 1990 में अपने प्रतिवेदन में शिक्षा और स्त्री समानता के लिए अनेक कदमों को उठाने की बात कही। कम से कम 50% पदों पर महिला अध्यापकों की नियुक्ति करने को कहा।
- पंचवर्षीय योजनाओं में भी तड़के व लड़कियों के लिए समान शिक्षा व साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में साक्षरता में लिंग अंतराल को 10 प्रतिशतांक तक नीचे लाना अर्थात स्त्री साक्षरता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी महिला शिक्षा को समावेशी शिक्षा के माध्यम से अधिक तीव्र गति से विकास करने पर बल दिया गया।
- इसके अतिरिक्त शासन द्वारा कई योजनायें जैसे - संपूर्ण साक्षरता अभियान, राजीव गांधी साक्षरता मिशन के द्वारा शिक्षा को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, विशेष आवासीय विद्यालय योजना, बालिका प्रोत्साहन राशि योजना, मिड-डे मील योजना, करस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (6-14 वर्ष के बच्चों के लिए), नेशनल मैरिट-कम-मींस स्कालरशिप योजना, गाँव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, बेटी बचाओं व बेटी पढ़ाओ योजनाओं के माध्यम से सरकार महिला साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास कर रही है व जो उचित है महिला साक्षरता स्वतंत्रता के पश्चात् निरंतर वढ़ रही है जिसे तालिका क्रमांक 2 में दिखाया गया है।
- महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शासन की कई योजनायें हैं इसके लिए वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 भी लागू हो गयी है। इस नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है तथा साथ ही वालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस शिक्षा

ISSN 2395-051X

नीति के पेरा 6.8 में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए जेण्डर समावेशी कोष की स्थापना एक नया व क्रांतिकारी कदम है। यह सकारात्मक संकेत है कि यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा के नीतिगत प्रावधान महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नई शिक्षा नीति की प्रस्तावना में ही भारत की विदुषी नारियों गार्गी और मैत्रेयी का उल्लेख किया जो प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में नारियों की सशक्त उपस्थिति को दर्शाता है साथ ही भविष्य में उनकी बढ़ती हुई सहभागिता की ओर संकेत करता है। सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा जो समूह है उसमें आधी संख्या महिलाओं की है इन महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर इस शिक्षा नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर विशेष विचार किया गया है और उन्हें दूर करने का उपाय भी किए है जैसे सर्वप्रथम जेण्डर समावेशी फंड की स्थापना की गयी है यह कोष राज्यों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस कोष में ऐसी नीतियां व योजनायें व कार्यक्रम लागू करने में सहायता मिलेगी जिसमें महिलाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सके जैसे परिसर में शौचालय स्थापित करना, उन्हें स्वच्छता और सेनिटेशन से संबंधित अन्य प्रावधान प्रदान करना, स्कूल आने जाने के लिए साइकिल देना, फीस न भर पाने की स्थिति में अभिभावकों को सशर्त नगद राशि हस्तांतरण करना, अनेक साधनों, माध्यमों से संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं, विद्यार्थियों आदि सभी को जेण्डर के प्रति संवेदनशील बनाया जाये। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा नीति में मल्टीपल एन्ट्री और एग्जिट सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ बालिकाओं व महिलाओं को होगा जिनका विवाह हो जाने से या पारिवारिक कारणों से पढ़ाई छूटती है। इस तरह बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने हेतु इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। शिक्षा के सभी स्तरों के लिंग संतुलन, सामाजिक व आथ्रिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा, शिक्षण परिसर में महिलाओं की सुरक्षा आदि के प्रति यह नीति जागरूक और संवदेनशील है।

इस तरह महिला साक्षरता दर और महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही योजनायें चल रही हैं। जो निश्चित ही सराहनीय है।

सामाजिक व आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शत-प्रतिशत साक्षरता आवश्यक है सभी का सर्वागीण विकास शिक्षा का मूलमंत्र है लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी का शिक्षित होना आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है महिला साक्षरता व महिला शिक्षा के विचार को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। देश में 35% महिलायें आज भी निरक्षर हैं जो एक विचारणीय प्रश्न है क्योंकि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। महिला और पुरुष दोनों समान रूप से समाज की दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज की प्रगति की ओर ले जाते

हैं। आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिये जाये। महिला साक्षरता व महिला शिक्षा भारत देश की एक आवश्यकता है। देश की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है जिसकी शिक्षा को अनदेखा करना देश के विकास को अनदेखा करना है। अच्छी बात तो यह है कि स्वतंत्रता के वाद महिला साक्षरता दर निरंतर बढ़ी है। महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में अपनी कुशलता दिखा रही है जो निश्चित ही एक विशाल जनसंख्या वाले देश को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अतः आवश्यक है कि जो भी उनकी निरक्षरता में बाधायें हैं उन सभी को मिलकर दूर करना व महिला साक्षरता को शत-प्रतिशत करना है। उसका शिक्षित होना एक देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है।

संदर्भ -

1. वर्मा, डॉ. सवलिया बिहारी - ''ग्रामीण महिला शिक्षा'' एवं ''महिला उत्थान'' यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2011, पृ. 47-48
2. श्रीवास्तव, डी.एस. - भारत में शिक्षा का विकास, आगरा साहित्य, प्रकाशन, 2003 पृ. 240
3. भारत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2011
4. नई शिक्षा नीति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार,, नई दिल्ली 2020
5. कुरूक्षेत्र - जनवरी प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली 2016
6. योजना - प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली जनवरी 2016 एवं फरवरी 2020
7. https//www.drishtitias.com
8. https//www.hindi.theindianwire.com